*भुगतान क्रांति : सहभागिता की तैयारी**

आर. गांधी

यह मेरा सौभाग्य था कि रिज़र्व बैंक की भुगतान प्रणाली के विज़न दस्तावेज 2005-08 का प्रारूप तैयार करने का अवसर मुझे मिला था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि समस्त खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक नई संस्था की स्थापना पर फोकस किया जाएगा तथा एक राष्ट्रीय निपटान प्रणाली संचालित की जाएगी। यह नई संस्था एक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसका स्वामित्व व संचालन बैंकों द्वारा किया जाएगा और यह समस्त खुदरा समाशोधन कार्यों, कागज-आधारित एवं इलेक्ट्रानिक दोनों के लिए बृहत संगठन के रूप में कार्य करेगी। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) 2009 में स्थापित किया गया और उसका विधेयक एकस्वर से पारित हो गया था और अब यह निगम एक प्रमुख इंजन के रूप में खुदरा भुगतान प्रणाली को आगे ले जाने में प्रयासरत है। एनपीसीआई बैंकिंग समुदाय के साथ बड़े निकट से तथा भुगतान प्रौद्योगिकी उद्योग के साथ बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है और भुगतान को डिजिटाइज करने में अग्रसर रहा है तथा परस्पर सक्रियता भी प्रदान कर रहा है।एनपीसीआई द्वारा की गई इस नई पहल से उद्योग जुड़ रहा था और भुगतान प्रणाली पर वह सकारात्मक रूप से प्रभाव डाल रहा था। अब तक एनपीसीआई ने छह वर्ष पूरे कर लिए हैं और अपने इस कार्यकाल में उसने सफलतापूर्वक छह उत्पाद उतारे हैं जैसे - सीटीएस का ग्रिडवार संचालन, एनएसीएच, आईएमपीएस, एनएफएस तथा रूपे कार्ड योजना को अनुकूल बनाना। मुझे उम्मीद है कि एनपीसीआई के पास और भी सफल चीजें लाने के लिए होंगी। मुझे ज्ञात है कि एनपीसीआई 'टच एंड गो' कार्ड पेश करने की अंतिम तैयारी में है और इसके लिए वह ईटीसी टैग को इसपर कार्यशील बनाने के तरीकों पर चर्चा कर रहा है। मैं इसके लिए अपने पुराने मित्र श्री ए.पी. होता के नेतृत्व में एनपीसीआई टीम को बधाई देता हूँ।

2. हम देश में एक भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पिछले पैंतीस वर्षों से प्रयासरत थे जिसके लिए हमने अस्सी के दशक के प्रारंभ से ही समाशोधन गृहों को कम्प्यूटरीकृत करना प्रारंभ कर दिया था। इन वर्षों में किए गए प्रयासों का नतीजा है कि आज हमारे पास देश में एक गतिमान, नवोन्मेषी, कुशल तथा सुरक्षित भुगतान आर्थिक प्रणाली है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का हिस्सा मात्रा एवं मूल्य दोनों के

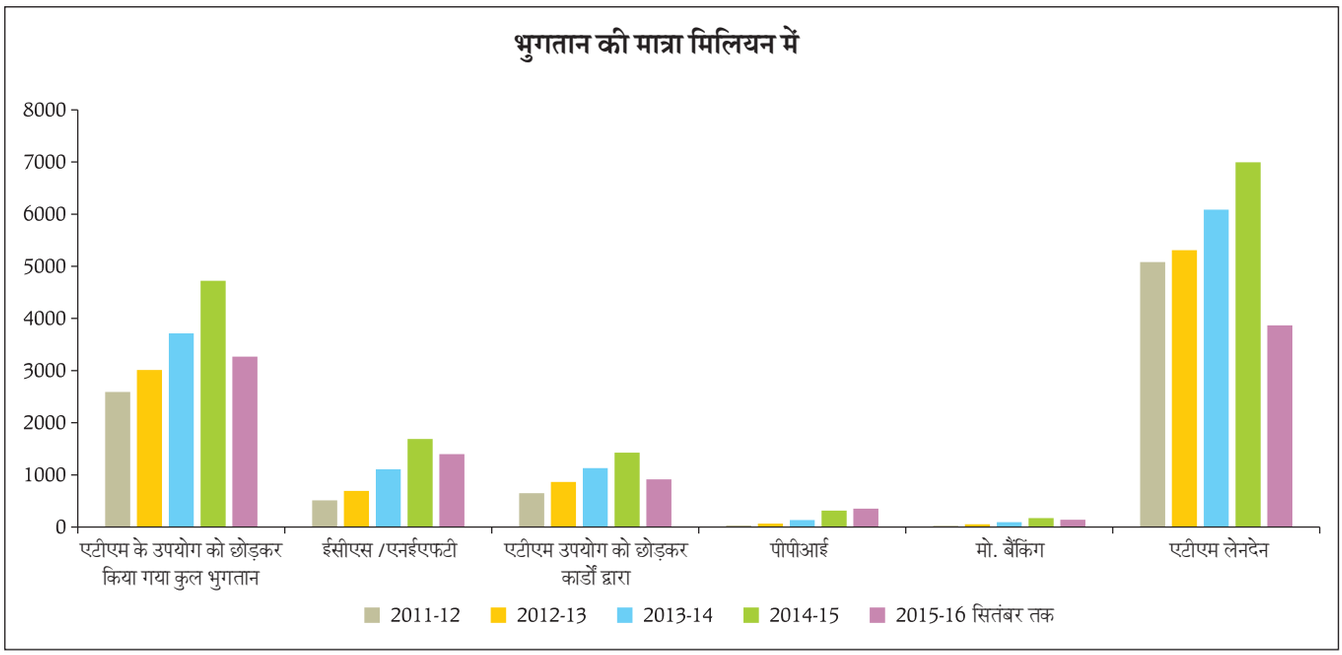

* श्री आर. गांधी, उप गवर्नर, भा.रि.बैं. द्वारा 22 दिसंबर 2015 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा होटल ग्रान्ड हयात, मुंबई में आयोजित 'राष्ट्रीय भुगतान उत्कृष्टता पुरस्कार 2015' के अवसर पर दिया गया भाषण। श्री विपिन सुरेलिया द्वारा दी गई सहायता के प्रति आभार।

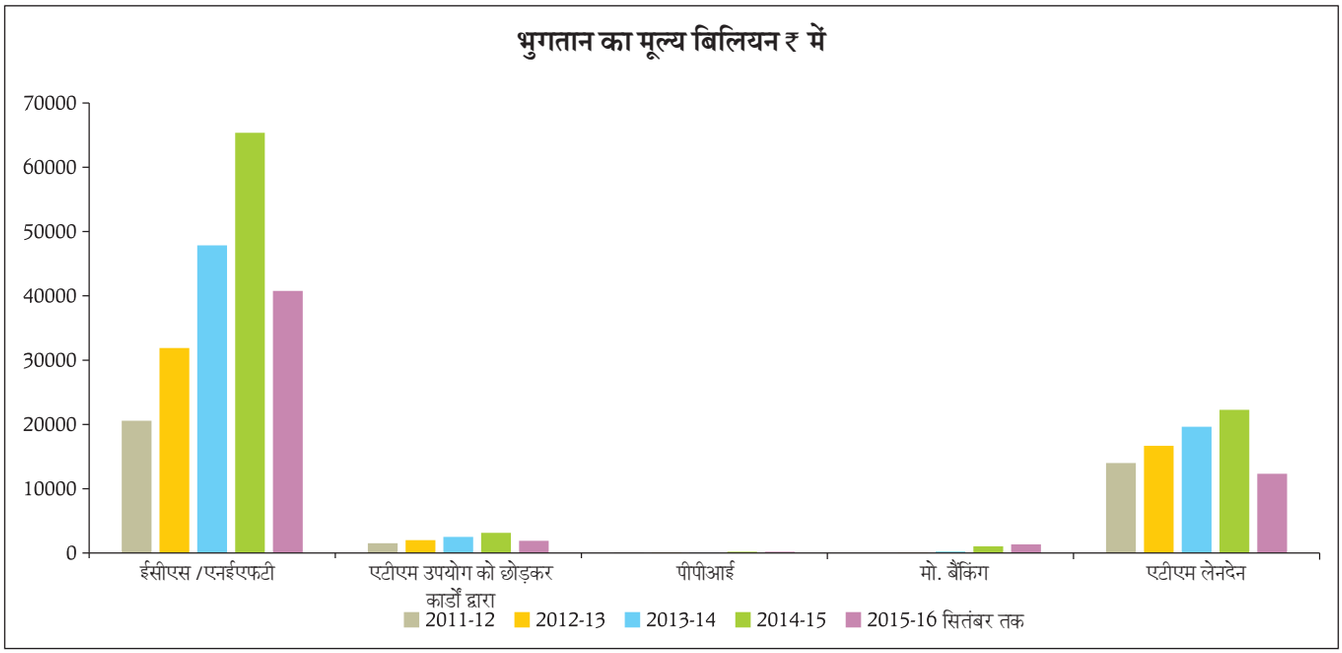

हिसाब से निरंतर बढ़ता जा रहा है। अनेक भुगतान चैनल जैसे कार्ड (क्रेडिट, डेबिट एवं प्रीपेड प्रकार के कार्डों सहित), फील्ड के, निकट तथा कार्डरहित, इलेक्ट्रानिक, इंटरनेट एवं मोबाइल आधारित चैनलों का अनुपात भारी मात्रा में बढ़ रहा है। एटीएम और पीओएस मशीनें तो भारी संख्या में उपलब्ध हो गई है।

3. लेकिन, हमारा देश बहुत बड़ा है, 3288 मिलियन वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला हुआ है, 1.2 बिलियन नागरिक हैं और 6,50,000 से अधिक गांव हैं। इस दिशा में अब तक हुई प्रगति यद्यपि उत्साहवर्धक रही है लेकिन यदि हम विकसित पश्चिमी या पूर्वी देशों को छोड़कर बात करें तो अपने साथी उभरते बाज़ारों में हुई प्रगति के आसपास भी नहीं हैं। इसलिए हमें इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक अगले भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज़ पर कार्य कर रहा है। यह भी ज़रूरी है कि बाज़ार के सहभागी भी भुगतान प्रणाली को विकसित करने में गंभीरता से रूचि लें। संयुक्त

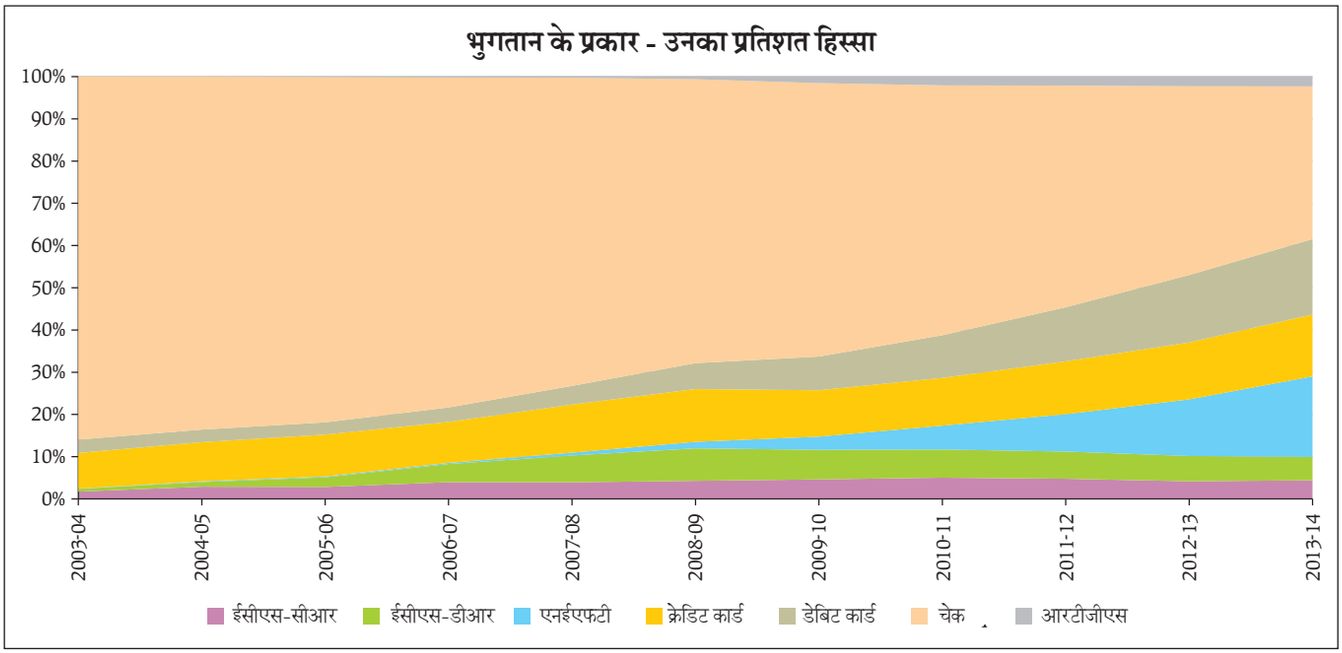

हित वाले समूहों से अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यह खुशी की बात है कि एनपीसीआई ने नेटवर्क पर सदस्य बैंकों के निष्पादन को पहचानने एवं पुरस्कृत करने के लिए 'राष्ट्रीय भुगतान उत्कृष्टता पुरस्कार' की स्थापना की है। इस पुरस्कार की कई श्रेणियां हैं, बड़े खिलाड़ियों के लिए अलग तथा थोड़ा कम बड़े खिलाड़ियों के लिए अलग पुरस्कार। पुरस्कार प्राप्त करने वाले बैंकों एवं उनके स्टाफ को मेरी हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि अन्य बैंक इस पुरस्कार को जीतने के लिए आने वाले वर्षों में अपने प्रयास दुगुने कर देंगे।

उभरती भुगतान क्रांति

4. गोल्डमैन सैक की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय संसार में तीन उभरती प्रवृत्तियों में से एक लहर है भुगतान क्रांति की। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे भुगतान के तरीकों में बदलाव लाने वाले संचालक हैं प्रौद्योगिकी, विनियम, जनांकिकी तथा अंतरराष्ट्रीय कारक। नेटवर्क प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष, क्रिप्टोग्राफी एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता संरक्षण, काले धन को वैध बनाने संबंधी निरोधी, आतंकवाद निधीयन निरोधी विनियम, लेनदेन शुल्क एवं परस्पर अदला-बदली शुल्क के संबंध में निर्देश, वित्तीय समावेशन पहल, बी2सी, सी2सी, बी2बी प्रकार के भुगतान, क्रिप्टो करेंसी तथा प्रौद्योगिकी उन्मुख अगली पीढ़ी इस क्रांति को आगे बढ़ा रही है।

5. भारत में भुगतान का परिदृश्य भी बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है, इसका मुख्य कारण यह है कि रेगुलेटरी फोकस तीव्र भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, करोड़ों लोगों के पास हाथ की डिवाइसेस में प्रौद्योगिकीयुक्त भुगतान समाधान उपलब्ध होगा, उन लोगों के पास जिन्हें अंकों का ज्ञान होगा, उभरते हुए भुगतान बाज़ार में नये खिलाड़ी होंगे और विद्यमान खिलाड़ी देश में नवोन्मेष की बढ़ती संस्कृति पर सवार होंगे ताकि ऐसे समाधान प्रस्तुत हो तो भारत में निर्मित और भारत के लिए निर्मित का पर्याय हों।

6. समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए परस्पर परिवर्तनीयता प्रमुख है और उभरती हुए बृहत भुगतान इको-प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। आज एनपीसीआई के बृहत परस्पर परिवर्तनीय घरेलू नेटवर्क पर बहुविध सेवाएं प्रदान कर रहा है और समुदाय को परस्पर रूप से प्रमुख सेवा दे रहा है। अगले 3-5 वर्षों में खुदरा भुगतान मोबाइल के माध्यम से किए जाने लगेंगे। इससे देश के 1 बिलियन से अधिक मोबाइल कनेक्शन जुड़ेंगे और यह एक प्रकार का वित्तीय समावेशन अभियान होगा।

7. आगामी भुगतान क्रांति में भाग लेने एवं उसका लाभ उठाने के लिए हमें कतिपय रणनीतिक कार्रवाई करनी होगी जो इस प्रकार हैं :

ए) **स्वीकार्य इकोसिस्टम का विस्तार** : यह स्थिति देश के टियर I और टियर II केंद्रों पर डिजिटल चैनलों की प्रचुरता से स्वयं सिद्ध है। डिजिटल चैनलों को बढ़ावा देने के लिए यह इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है जिसमें बैंक, नेटवर्क पार्टनर तथा अन्य शामिल हैं। यह भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि डिजिटल चैनल पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो और सुविधाप्रदाता जैसे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग पंजीकरण आदि टियर III से टियर VI तक के केंद्रों पर भी उपलब्ध हों। यह अत्यधिक आवश्यक है कि देश के 6 लाख से अधिक ग्रामों में रहने वाले लोगों के पास वैकल्पिक डिलीवरी चैनल मौजूद हों। एक आकलन के अनुसार ब्रिक देशों के औसत तक पहुंचने के लिए भारत को 20 मिलियन पीओएस टर्मिनल चाहिए जो इस समय 1.2 मिलियन हैं। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है।

बी) **सरकारी पहल** : यह प्रयास किया गया है कि सरकारी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को इलेक्ट्रानिक चैनल से प्रदान किया जाए। मेरा मानना है कि 946 मिलियन से अधिक आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं, और इलेक्ट्रानिक माध्यम से लाभ अंतरण करना एक कुशल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने की स्पष्ट रणनीति है।

सी) **परस्पर परिवर्तनीयता** : जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि डिजिटल चैनलों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल चैनल की इंटेरोपेरेबिलिटी (परस्पर परिवर्तनीयता) मुख्य संचालक है। डिजिटल चैनल यथापरिभाषित कही भी और कभी भी उपलब्ध होने चाहिए।

डी) **साधारण और मानक :** आखिरी ग्राहक को डिजिटल चैनल आसानी से चलाना आना चाहिए। ऐसा बाधारहित इकोसिस्टम पार्टनर के माध्यम से किया जा सकता है। और इसके लिए प्रक्रियाओं का मानकीकरण, पंजीकरण से लेकर डिलीवरी तक तथा डिलीवरी के बाद की सेवाओं तक होना अनिवार्य है।

ई) **सुरक्षा :** किसी भी इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली में सुरक्षा को एवं डिजिटल चैनल को बढ़ावा देने के लिए जोखिम को दूर करने की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है। इस बात के लगातार प्रयास होने चाहिए कि डिजिटल चैनल सुरक्षित और महफूज़ हैं। ग्राहकों की विश्वसनीयता से ही डिजिटल चैनलों के उपयोग में गहनता पैदा होगी।

8. इन उपायों से तथा प्रमुख हितधारकों जैसे रिज़र्व बैंक, सरकार, बैंक, भुगतान प्रणाली सहभागियों एवं एनपीसीआई जैसे उत्प्रेरक से रिज़र्व बैंक को पूरी उम्मीद है कि भारत भुगतान क्रांति का लाभ अवश्य उठाएगा।

9. मैं एनपीसीआई तथा भुगतान समुदाय को शुभकामनाएं देता हूँ कि वे भविष्य की बैंकिंग और बैंकिंग के भविष्य को आकार देने में सफल हों।